

वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक)

कोरबा वनमंडल के अंतर्गत इस परियोजना से सम्बन्धित निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।

वनमंडलाधिकारी
कोरबा वन मंडल कोरबा

उप वन मंडलाधिकारी
कोरबा उप वनमंडल



(अमन कुमार सिंह)

महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड
रायपुर छत्तीसगढ़

प्रपत्र-3

**वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव
पर वन संरक्षक/वनमण्डलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन**

1	परियोजना का नाम	भूमिगत ओ.एफ.सी. बिछाने हेतु बताती से हाटी		
2	आवेदक /आवेदक विभाग का नाम	रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, रायपुर		
3	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग	0.427 हेक्टेयर		
4	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमण्डल	परियोजना स्थल
		कोरबा	कोरबा	बताती से हाटी
5	वन भूमि का विस्तृत विवरण क. राजस्व वन क्षेत्र	वनखण्ड	कक्ष क्रमांक	आवेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल
		बताती	349/1	0.004
		बताती	588/6	0.001
		गरौन	301/1	0.010
		करतला	1179/1	0.019
		करतला	1224/1, 1224/2	0.013
		करतला	1182/1	0.032
		तौलीपाली	1	0.032
		तौलीपाली	205/1	0.002
		तौलीपाली	467/1	0.012
		कुदमुरा	152/1	0.021
			योग	0.146 हे.
	ख. राजस्व संरक्षित वन	बताती भाग	1029	0.058
		बताती भाग	1034	0.028
		चांपा पश्चिम	1141	0.009
		धौराभाठा	1138	0.078
		धौराभाठा	1139	0.034
			योग	0.207 हे.
	ग. आरेंज एरिया		1311	0.008
		कदमुरा (ब)	1424	0.024
		कुदमुरा (अ)	1425	0.019
			योग	0.074 हे.
	घ. आरक्षित वन	निरंक	—	—
			कुल योग	0.427 हे.
6	आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	साल, बीजा, सीसम, तिन्सा, हल्दु, साजा,		
7	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	प्रजाति कुल वृक्षों की संख्या		
8	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	निरंक		
9	आवेदित क्षेत्र की (विशेष कर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी./वनमार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें)	आवश्यक नहीं है।		
10	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, बायो स्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक	नहीं		

	झील/वाटर बॉडी, आदिवासी सेटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 5 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें ।	
11	आवेदित वनक्षेत्र के अलावा अन्य गैर वन क्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष / भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे ।)	नहीं
12	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण देवें ।	प्रकरण में वन संरक्षण वन अधिनियम 1980 के तहत अवैध रूप से वाहन मालिक नवल सिंह ठाकूर के द्वारा वनक्षेत्र में कार्य करने का दोषी पाये जाने पर जे.सी.बी. मशीन क्र. CG11AB3341 को शासन के पक्ष में राजसात करते हुए उपवनमंडलाधिकारी दक्षिण कोरबा का आ.क्र. 1 दिनांक 3.5.2016 पारित किया गया । उक्त आदेश के विरुद्ध वाहन मालिक नवल सिंह ठाकूर के द्वारा अपीली अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त बिलासपुर को अपील किया गया । प्रकरण का जांच कर अपीली अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त बिलासपुर द्वारा आ. क्र. 223 दिनांक 22.12.2016 द्वारा प्रकरण में रुपये 10,000/- अर्थदण्ड लेते हुये जप्त वाहन जे. सी. बी. मशीन क्र. CG11AB3341 को मुक्त किया गया है । प्रकरण में प्रबंधक कार्पो. अफेयर रिलायंस जियो इंफोकाम लिमिटेड रायपुर से दाण्डिक वृक्षारोपण दुगने क्षेत्र 0.854 हे. में प्रस्तावित करते हुये जनहित को ध्यान में रखते हुये इस प्रस्ताव के स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है ।

प्रमाण पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किए गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है । आवेदक द्वारा मांग की गई वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है ।

निरीक्षण स्थल - बताती-घाटी

दिनांक - 13/05/17

4
उप वन मंडलाधिकारी
ज. कोरबा उप वनमंडल

7
(विवेकानंद झा)
भा.व.से.
वनमंडलाधिकारी
कोरबा वनमंडल कोरबा

PART - II
(संबंधित उप संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या :- FP/CG/Other/21373/2016

7	परियोजना /स्कीम का स्थान	भूमिगत ओ.एफ.सी.बिछाने हेतु बताती से हाटी
I	राज्य /संघ शासित प्रदेश	छत्तीसगढ़
II	जिला	कोरबा
III	वन प्रभाग	कोरबा वनमण्डल
IV	वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि	0.427 हे. भूमि का क्षेत्र (हेक्टर)
V	वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन — निरंक संरक्षित वन — 0.207 हे. आरेंज एरिया — 0.074 हे. राजस्व वनभूमि — 0.146 हे.. कुल योग — 0.427 हे.
VI	वनस्पति का घनत्व	0.3
VII	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों की संख्या प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और व्यास श्रेणीवार	निरंक है ।
VIII	भूमि कटाव के लिये वनक्षेत्र का महत्व, क्या यह गंभीर रूप से क्षेत्र का हिस्सा है, या नहीं	भूमि कटाव हेतु सर्वेदनशील क्षेत्र नहीं है ।
IX	वन सीमा से प्रत्यावर्तित स्थल की अनुमानित दूरी	प्रत्यावर्तित स्थल वनक्षेत्र के किनारे स्थित है ।
X	क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य,जीव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर आदि का भाग है (यदि हां तो, क्षेत्र का व्यौरा तथा मुख्य वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां संलग्न करें)	नहीं
XI	क्षेत्र में पाये जाने वाली दुर्लभ/संकटापन /वन प्रजातियों का विवरण । (यदि कोई है तो उसका विवरण संलग्न करें)	नहीं
XII	क्या पुरातत्व महत्व स्थल/हेरीटेस साईट/सुरक्षा संस्थान या अन्य कोई ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्थल क्षेत्र में स्थित है (यदि हां तो विवरण संबंधित सक्षम अधिकारी के अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करें)	नहीं
8	क्या प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के भाग -1 के कॉलम 2 में प्रयोक्त एजेंसी द्वारा उल्लेखित वन भूमि न्यूनतम है । (यदि नहीं तो अन्य विकल्प में अनुशंसित क्षेत्र का आइटम वाइस विवरण)	न्यूनतम है ।
9	क्या कोई कार्य अधिनियम का उल्लंघन करते हुए किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो किए	हाँ । उक्त प्रकरण में वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा पी.ओ.आर. 5630/15 दिनांक 28.12.2015 जारी किया गया था । वर्तमान में

	गए कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही सहित व्योरा दें। उल्लंघन करते हुए कार्य क्या अभी भी चल रहे हैं।	कार्य बंद है।
10	क्षतिपूरक वन रोपण स्कीम के व्योरे	आवश्यक नहीं है।
(i)	क्षतिपूरक वन रोपण के लिये शिनाख्त किये गये गैर वन क्षेत्र/बिगड़े वनक्षेत्र का व्योरा निकटवर्ती वनों से इसकी दूरी, हिस्सों की संख्या, प्रत्येक हिस्से का आकार।	निरंक
(ii)	क्षतिपूरक वन रोपण के लिये शिनाख्त गैर वन भूमि/बिगड़े वनक्षेत्र तथा निकटवर्ती वन सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र	आवश्यक नहीं है।
(iii)	रोपण की जाने वाली प्रजातियों, कियान्वयन एजेंसी, समय सारणी, लागत ढांचा आदि सहित विस्तृत क्षतिपूरक वन रोपण	आवश्यक नहीं है।
(iv)	क्षतिपूरक वन रोपण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिय्य	आवश्यक नहीं है।
(v)	वन रोपण के लिये क्षतिपूरक वन रोपण हेतु शिनाख्त किये गये क्षेत्र की उपयोगिता के बारे में और प्रबंध की दृष्टि से सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र। (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा)	संलग्न है।
11	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट (संलग्न की जानी है) मुख्यतः बिन्दु क्रमांक 7 (XI, XII), 8 और 9 के संदर्भ में	आवश्यक नहीं है।
12	वनमण्डल/जिला प्रोफाईल	
(i)	वनमण्डल का भौगोलिक क्षेत्र	2820 वर्ग कि.मी.
(ii)	वनमण्डल का वन क्षेत्र	2136.47 वर्ग कि.मी.
(iii)	1980 के बाद कुल वनक्षेत्र का वनेत्तर उपयोग मामलों की संख्या के साथ रकबा	संख्या - 17, रकबा - 1089.268 हे.
(iv)	1980 से जिला/वनमण्डल में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण क्षेत्र	-
(a)	वन भूमि, दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण वनक्षेत्र को शामिल करते हुए।	1379 हेक्टेयर
(b)	वनेत्तर भूमि (गैर वन भूमि)	20 हेक्टेयर
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण की प्रगति	
(a)	वनभूमि	1379 हेक्टेयर
(b)	वनेत्तर भूमि (गैर वन भूमि)	20 हेक्टेयर
13	कारणों सहित प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए संबंधित उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिस।	रिलायंस जियो इंफोकाम लिमिटेड रायपुर द्वारा 4 जी सेवा दे के सभी जिलो, तहसीलो एवं गांव को दूरसंचार की आधुनिकता सुविधा प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है वर्तमान में

	उपलब्ध सभी आधुनिक सुविधाएँ (एस.टी.डी. इंटरनेट, फ़ैक्स ईमेल आदि) का भरोसेमंद मीडिया "ऑप्टिकल फ़ायबर केबल" है ओ.एफ.सी. बिछायी गई है वह छोटी जगह भी आधुनिकतम दूरसंचार सेवाओं का लाभ ले रही है। इसी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है बताती से हाटी के बीच ओ.एफ.सी. केबल बिछाना ताकि इस मार्ग पर पड़ने वाले सभी संबंधित क्षेत्र देश के हर हिस्सा से जोड़े जायेगे तथा देश के किसी भी हिस्से से संबंधित क्षेत्र में संचार संभव हो जायेगा। वस्तुतः संपूर्ण भारत इससे लाभाविप्त होगा। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुये इस प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है।
--	--

तारीख 10/04/17

स्थान Korba.

4
वन मंडल अधिकारी
कोरबा वन मंडल

(विवेकानंद झा)

भा.व.से.

वनमंडल अधिकारी
कोरबा वनमंडल कोरबा

PART - III

(संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14	स्थल जहां कि वनभूमि शामिल की गई है, क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने स्थल निरीक्षण किया है, (हां / नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये स्थल निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रक्षेपों को संलग्न करें ।	
15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग – (B) में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है ।	
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिश ।	

तारीख _____

स्थान _____

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर

PART - IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें । (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये ।	
----	---	--

तारीख _____

स्थान _____